आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।
Email-md@idabihar.com , Web-www.idabihar.com, phone: 0612-2675933, 2675935, Fax no-2675934

पत्रांक :– **08/146/Tech/IDA/2022** दिनांक :–

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी),

सेवा में,

Tujar Alam
At+Po- Sitanabad, PS- Simri Bakhtiyarpur,
Dist – Saharsa, Pin – 852106.

विषय : **Construction of Plug and Play Prefabricated Shed at Bhagalpur, Phase – 4 के कार्य के एकरारनामा को Rescind करने के संबंध में।**

प्रसंग : (1) प्राधिकार का पत्रांक 5630/Tech दिनांक 29.11.2024, पत्रांक 5361/Tech दिनांक 14.11.2024, पत्रांक 5287/Tech दिनांक 30.10.2024, पत्रांक 3648/Tech दिनांक 13.07.2024, पत्रांक 1821/Tech दिनांक 30.03.2024, पत्रांक 1385/Tech दिनांक 11.03.2024, पत्रांक 1298/Tech दिनांक 06.03.2024, पत्रांक 1315/Ac दिनांक 06.03.2024 एवं पत्रांक 1212/Tech दिनांक 01.03.2024

(2) आपका पत्रांक शून्य दिनांक 13.12.2024, पत्रांक शून्य दिनांक 12.12.2024, पत्रांक शून्य दिनांक 26.11.2024, पत्रांक शून्य दिनांक 27.09.2024, पत्रांक 20/teach दिनांक 10.08.2024, पत्रांक 21/teach दिनांक 10.08.2024, पत्रांक 22/teach दिनांक 10.08.2024, पत्रांक 23/teach दिनांक 10.08.2024 एवं पत्रांक शून्य दिनांक 06.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्रों का संदर्भ करें। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना द्वारा निर्गत NIT संख्या– 65/TEN/IDA/22, Sl.No- 03 के आलोक में Construction of Plug and Play Prefabricated Shed at Bhagalpur, Phase – 4 के निर्माण हेतु आपको (M/s Tujar Alam, At+P.o- Sitanabad, Police Station- Simri Bakhtiyarpur, Distt- Saharsa, Pin- 852106) कार्य आवंटित किया गया था। जिसके लिए दिनांक 02.01.2023 को एकरारनामा संख्या 65/SBD/2022-23 हस्ताक्षरित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 02.12.2022 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 01.06.2023 था। निर्माण कार्य की कुल समयावधि 06(छः) माह तथा इस परियोजना की एकरारित राशि रू0 9,72,39,027.73 मात्र था। उक्त परियोजना को पूर्ण करने के लिए निम्नांकित कार्रवाई की गई :–

(1) प्राधिकार का पत्रांक 1298/Tech दिनांक 06.03.2024 के द्वारा उक्त कार्य के एकरारनामा को पुर्नस्थापित किया गया है, तथा पत्रांक 1385/Tech दिनांक 11.03.2024 के द्वारा शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु Work Programme यथाशीध्र उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। जो अब तक अप्राप्त है।

(2) एकरारनामा को पुर्नस्थापित किये जाने के परिपेक्ष्य में प्राधिकर द्वारा जब्त किये गये Performance Guarantee एवं Additional Performance Guarantee को Restore करने हेतु बैंक के Format पर हस्ताक्षर करने हेतु पत्रांक 1821/Tech दिनांक 30.03.2024 निर्गत किया गया साथ ही आपको कई बार मौखिक आदेश भी दिया गया, परंतु आपके द्वारा आज दिनांक तक बैंक के Format पर हस्ताक्षर नहीं किया गया एवं इस संदर्भ में आपके द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 06.06.2024 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि जब्त

P.T.O

किये गये Performance Guarantee एवं Additional Performance Guarantee की राशि को मेरे शाखा सहरसा स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जमा किया जाय तत्पश्चात FD/BG बनाकर कार्यालय में समर्पित कर सकूं। जो तथ्यहिन एवं भ्रामक है।

(3) विदित हो कि प्राधिकर द्वारा जब्त किये गये Performance Guarantee एवं Additional Performance Guarantee को Restore करने हेतु प्राधिकार द्वारा प्रासंगिक पत्रों तथा मौखिक रूप से आग्रह किया गया था कि बैंक के प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि Revoke किये गये Performance Guarantee एवं Additional Performance Guarantee का बैंक से FDR तैयार कर पूर्व की भाँति आई0डी0ए0 के साथ Pledge किया जा सके इस संदर्भ में आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि एक सप्ताह के अंदर बैंक के विहित प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कर उपलब्ध करा देंगें, परंतु दिनांक 10.07.2024 तक आपके द्वारा बैंक में दाखिल किये जाने वाले प्रपत्र पर हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः आई0डी0ए0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अनुपालित करने हेतु 03 Fixed Deposit तैयार कर दिया गया। ये तीनों FD PG & APG के राशि के मद में माने जायेंगें एवं जब भी इसे नियमानुसार लौटाया जाना होगा उस समय इन सुनक्षित जमा राशियों पर अर्जित ब्याज सहित आपको वापस कर दी जायेंगी। क्योंकि वगैर आपके हस्ताक्षर के आपके नाम से Fixed Deposit निर्गत किया जाना संभव नहीं था। उपरोक्त कि सूचना पत्रांक 3648/Tech दिनांक 13.07.2024 के द्वारा आपको भी दिया जा चूका है।

(4) प्राधिकार का पत्रांक 4134/Tech दिनांक 09.08.2024 के माध्यम से आपको सूचना दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पारित आदेशानुसार आपको अपने द्वारा उद्धृत Counter Allegation/ Dispute के समाधान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 05.08.2024 को उपस्थित होकर अपना पक्ष/ कथन रखना था, परंतु दिनांक 09.08.2024 तक आपके द्वारा उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इसी संदर्भ में दिनांक 10.08.2024 को आपके द्वारा स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से चार पत्र यथा–पत्रांक 20/teach दिनांक 10.08.2024, पत्रांक 21/teach दिनांक 10.08.2024, पत्रांक 22/teach दिनांक 10.08.2024, पत्रांक 23/teach दिनांक 10.08.2024 समर्पित किया गया, जिसमें Security Deposit, Performance Guarantee, Additional Performance Guarantee, Penalty एवं Penalty against Time Extension की राशि को वापस करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके आलोक में कहना है कि Performance Guarantee, Additional Performance Guarantee को Restore करने हेतु कई बार प्राधिकार द्वारा सूचना दिये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा बैंक के प्रपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया तदालोक में प्राधिकार द्वारा कुल 03 Fixed Deposit IDA Construction Project Fund के नाम से बनाते हुये प्राधिकार का पत्रांक 3648/Tech दिनांक 13.07.2024 के माध्यम से आपको सूचित किया गया। साथ ही कहना है कि एकरारनामा के SBD के कंडिका 41 के तहत Security Deposit कि 50 प्रतिशत राशि कार्य पूर्णता के छः माह बाद तथा शेष 50 प्रतिशत राशि Defect Liability Period के पश्चात् ही दिये जाने का प्रावधान है, परंतु आपके द्वारा उपरोक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया। तथा Penalty एवं Penalty against Time Extension कार्य की धीमी प्रगति के कारण लगाया गया है। उपरोक्त कि सूचना प्राधिकार के पत्रांक 4748/Tech दिनांक 19.09.2024 के द्वारा आपको भी दिया जा चूका है। साथ ही प्राधिकार का पत्रांक पत्रांक 4863/Tech दिनांक 28.09.2024 के माध्यम से आपको सूचित किया गया कि वर्तमान में वाद संख्या CWJC-15248/2023 एवं MJC-3727/2024 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में निर्णायार्थ

P.T.O

विचाराधीन है। अतएव माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम न्याय निर्णय के पश्चात् ही तत्संबंधित सूचना आपको दी जायेगी। इस प्रकार आपके द्वारा माँगे गये सभी वांछित माँग तथ्यहीन है।

(5) आपके द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 27.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार Security Deposit, Performance Guarantee, Additional Performance Guarantee, Penalty एवं Penalty against Time Extension कि राशि वापस खाता में करना था, इस संदर्भ में सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं है। साथ ही उक्त पत्र में आपके द्वारा बताया गया कि परियोजना का एकरारनामा शेड निर्माण हेतु किया गया था किन्तु प्राधिकार द्वारा एकरारनामा से अलग हटकर तीन मंजिला भवन निर्माण कराया जा रहा है, उक्त के आलोक में कहना है कि आपके द्वारा एकरारनामा एवं पूरक एकरारनामा करने के उपरांत प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराये गये नक्शे के अनुसार कार्य कराया जा रहा था। आपके द्वारा लगभग 33 प्रतिशत कार्य पूर्ण भी किया गया है, जिसका अद्यतन भुगतान आपको किया जा चूका है। इस प्रकार आपके द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर में कोई नये बात की पुनरावृति नहीं किया गया है, कोई नया तथ्य नहीं रहने के कारण इसको अमान्य किया जाता है।

(6) एकरारनामा पुर्नस्थापन के लगभग 07 माह अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी आपके द्वारा कार्यस्थल पर आज दिनांक तक ना तो कार्य प्रारंभ किया गया ना कार्य पूर्ण किया गया और ना ही कार्य प्रारंभ करने कि दिशा में उचित प्रयास किया गया आज तक कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं कि जा रही है, जिससे प्रतित होता है कि आपके द्वारा कार्य करने के संबंध में कोई रूचि नहीं ली जा रही है, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। विदित हो कि उक्त योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको स–समय पूर्ण करना अति आवश्यक है। आपके द्वारा कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के कारण सरकारी कार्य को अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। प्राधिकार का पत्रांक 5287/Tech दिनांक 30.10.2024 के माध्यम से पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह (07) दिन के अंदर कार्य प्रारंभ करने हेतु पुनः स्पष्टीकरण पूछा गया। जिसके प्रतिउत्तर में आपके द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 26.11.2024 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि पुर्नस्थापित एकरारनामा पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर ही नहीं किया गया तो किस आधार पर Work Programme उपलब्ध कराया जाये, इस संदर्भ में कहना है कि एकरारनामा पुर्नस्थापित किये जाने के पश्चात् आपके हस्ताक्षर कि आवश्यकता नहीं थी, एकरारनामा को पुर्नस्थापित करने के उपरांत स्वतः ज्ञात है कि आपका एकरारनामा पूर्व की भाँति क्रियाशील है। इस प्रकार आपके द्वारा दिये गये पत्र को तथ्यहीन माना जाता है।

(7) पुनः आपके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण प्राधिकार का पत्रांक 5361/Tech दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछा गया कि दिनांक 14.11.2024 तक कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण क्यो नहीं SBD के सुसंगत प्रावधानों के तहत एकरारनामा को विखंडित करने कि कार्रवाई कि जाय? जिसके आलोक में आपका पत्रांक शून्य दिनांक 26.11.2024 को पत्र के माध्यम से प्रतिउत्तर समर्पित किया गया की एकरारनामा पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर ही नहीं किया गया तो किस आधार पर Work Programme उपलब्ध कराया जाय, शेड का निर्माण कराना है या तीन मंजिला भवन का निर्माण कराना है इत्यादि बातों का जिक्र किया गया। इस आलोक में कहना है कि उपरोक्त कि जानकारी आपको पहले ही पत्र के माध्यम से दिया जा चूका है। इस प्रकार आपके द्वारा दिये गये पत्र को तथ्यहीन मानते हुए अमान्य किया जाता है।

P.T.O

(8) प्राधिकार का पत्रांक 5630/Tech दिनांक 29.11.2024 के माध्यम से पुनः कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया कि क्यों नहीं SBD के सुसंगत प्रावधानों के तहत एकरारनामा को विखंडित करने कि कार्रवाई कि जाय? जिसके आलोक में आपका पत्रांक शून्य दिनांक 12.12.2024 एवं पत्रांक शून्य दिनांक 13.12.2024 के माध्यम से प्रतिउत्तर समर्पित किया गया। जिसमें शेड का निर्माण कराना है या तीन मंजिला भवन का निर्माण कराना है, समय अवधि विस्तार, दर में संशोधन, PG & APG को पुर्नस्थापित इत्यादि कि बात कही गई है। इस संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा समर्पित प्रतिउत्तर पर समीक्षा किया गया समीक्षोंपरांत पाया गया कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर आपको प्राधिकार द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया जा चूका है। आपके द्वारा बार–बार एक ही बात कि पुनरावृति कि जा रही है, कार्य प्रारंभ के दिशा में कोई उचित तथ्य नहीं बताया गया। आपके प्रतिउत्तर में कोई नया तथ्य नहीं रहने के कारण तथ्यहीन मानते हुए इसे अमान्य किया जाता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं वास्तुस्थिति के आलोक में एकरारनामा संख्या – 65/SBD/2022-23 को SBD के Clause of Contract-3 के अनुसार Rescind (विखंडित) एवं राशि (Performance Guarantee, Additional Performance Guarantee and Security Deposit) को जब्त किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)

ज्ञापांक :– 5971/Tech दिनांक :– 27/12/24

प्रतिलिपि : कम्पयूटर प्रोग्रामर एवं सूचना जन–संपर्क पदाधिकारी, आई0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/12/2024

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी))